पा बहस सुने जाने हेतु शपथ पत्र हो। शपथ लिया जाता है।
आइंदा दिनांक 05/02/2025 को पेश हो।
सही
अखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)
05/02/2025
उभयपक्ष उपस्थित हैं।
प्रार्थनापत्र 07 R 11 CPC पर उभयपक्षकारान के वकीलों की बहस सुनी गई। वकील प्रतिवादी सं. 01 व 02 का कथन रहा कि इस अनुदान के प्रकरण में प्रतिवादी सं. 03 मुकेश पुत्र श्री परशुराम जाति ब्राह्मण निवासी करनीकोट तहसील मुण्डावर की दावा दायरी से पूर्व ही दो वर्ष पूर्व दिनांक 01-09-2019 को मृत्यु हो चुकी थी जिसकी वादी को बखूबी जानकारी रही है। तथा प्रतिवादी मुकेश के वारिसान के नाम से विरासत इंतकाल दर्ज व स्वीकार होकर जमाबन्दी में
सही
अखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

आगत हो चुका है। अतः प्रार्थनापत्र 07R11 CPC स्वीकार किया जाकर वादपत्र खारीज किया जावे।

वादी द्वारा प्रार्थनापत्र 07R11 CPC के जवाब में अंकित किया कि वाद लिखते समय टाईपिंग मिस्टेक से प्रतिवादी सं.03 मुकेश के वारिसान पक्षकार नहीं बन पाये अतः प्रार्थनापत्र 07R11 CPC मय हर्जा खर्चा खारीज फरमाया जावे।

मैंने वकीलों की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का अध्ययन किया। पत्रावली में संलग्न न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में विचाराधीन द्वितीय अपील डिग्री टी.ए. संख्या 4818/2021 जिला अलवर की प्रति से स्पष्ट है कि उक्त अपील में मृतक मुकेश के वारिसान को रेस्पोण्डेन्ट्स अंकन की जद में 03/01 से 03/02

सि/

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

पक्षकार बनाया गया है। इससे स्पष्ट है कि वादी को प्रतिवादी संख्या 03 की मृत्यु की सूचना पूर्व से ही थी।

अतः प्रार्थना पत्र 07 R 11 CPC स्वीकार किया जाता है। वाद वादी खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील दाखिल जिला नल भण्डार हो।

आदेश आज दिनांक 05/02/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ह०

उपखण्ड अधिकारी

मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

05/08/25 आज पत्रावली पेश हुई। अनुज्ञापी उपस्थित है। आज इस पत्रावली से संबंधित मुकदमे को वापसी पत्र O23R1 CPC स्वीकार करने पर खारिज कर दिया गया है। अतः यह मामला 212 RTA पत्रावली भी ड्रॉप की जाती है। पत्रावली को वाद शुमार रजिस्टर नम्बर से कम कर बाद फाइल में संलग्न मूल वाद रखो सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)